न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–140 / 2022 दायर दिनांक– 05.07.2022
GCMS NO:- 2022/258 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शोभाग मल आ0 चतुरभुज जाति मीणा नि0 उगेन पोस्ट बाछोला तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन। निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम उगेन मे प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.3155 हैक्टयर स्थित है जिस पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त की जा रही है।

यंह कि खसरा नम्बर 248 के पडोस वाले खातेदार उक्त खेत की बाउन्ड्री सीमा को लेकर विवाद करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी ने उक्त खेत पर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी के कार्यालय मे दिनांक 06.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार देय राजकीय शुल्क भी जमा करवा दिया है लेकिन अब तक सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नही की गयी है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व सीमाज्ञान आवेदन की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बर 348 की पत्थरगढी करवाना चाहता है, उस संपूर्ण भूमि पर कब्जा ही नही है अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा